उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सेवा का अधिकार भवन
1—चालंग हिल्स, पो॰आ॰—कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
दूरभाषः 1800 270 9818
वेबसाईटः— urtsc.uk.gov.in ई—मेलः— ukrtsc@gmail.com

संख्याः 1063/21—14(01)/2015
देहरादून, दिनांकः 21 अक्टूबर, 2021

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या — 20, वर्ष 2011) की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित प्रभावी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग अपने कार्यों के प्रभावी प्रबंधन और व्यवहरण हेतु निम्नलिखित

विनियम (संशोधन) संख्याः 03, वर्ष 2021

बनाते हैः—

1.	**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**	(1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग (प्रबंधन) विनियम (संशोधन), 2021' होगा। (2) यह दिनांक 21.10.2021 से लागू एवं प्रवृत्त होगा।
2.	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2015 के अध्याय—6 का संशोधन	विनियम संख्या—12 का उपनियम (5) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता हैः— ''उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम—2011'' एवं ''उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की गई सेवाओं'' के व्यापक प्रचार—प्रसार एवं जनसामान्य में जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग द्वारा स्नातक (अंतिम वर्ष)/स्नातकोत्तर मे अध्ययनरत् /शोधरत विधार्थियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (इंर्टनशीप) आयोजित किये जायें, सफल विधार्थियों को प्रमाण पत्र भी जारी किये जाये। इस हेतु कार्यकारी आदेश पृथक से जारी किये जाये।

(एस॰ रामास्वामी)
मुख्य आयुक्त
S/L

दिनांकः— 21 अक्टूबर, 2021